

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-18/2018



बउनवान

बृजमोहन पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अटरू जिला बारां

(रिस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक

(अपीलांट)

2- पेरोकार सरकार

(रिस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 15.05.2019

अपीलांट ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 207/2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम आटोन की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 238/2121 की रकबा 0.15 हेक्टर भूमि पर फसल उडद की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 75/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 02.02.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रिस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये, पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट के नाम अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जारी सम्मन पर प्राप्ति के हस्ताक्षर अपीलांट के न होकर अन्य किसी व्यक्ति के है। इसलिये अपीलांट को प्रोपर तामील नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय साईक्लो स्टाईल परफॉर्मा पर पारित किया है जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.01.18 को पुलिस तलाशने गांव में आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 17.01.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 17.01.2018 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया

कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल उडद की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको न्यायालय के प्रकरण संख्या 173 मे पारित निर्णय दिनांक 28.07.2017 पर दिये गये आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्बत् 2074 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी है। अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट के नाम अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जारी सम्मन पर प्राप्ति के हस्ताक्षर अपीलांट के न होकर अन्य किसी व्यक्ति के है। इसलिये अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं हुई है। जिससे अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 207/2017 में अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण मे प्रोपर तामील नियमानुसार करवाई जाकर, पटवारी हल्का के बयानों मे जिरह का अवसर दिया जाकर, दो स्वतंत्र गवाहो के बयान लिये जाकर, विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर,
बारां